तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ख्यालीराम बनाम सोदान गोदारा आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 80/2020	
31.08.2021	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सूनी गई प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा रोही जैतपुर ए के खसरा नम्बर 717 में 15.11 बीघा बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं हैं। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि में आ–जा नहीं सकते। खसरा नम्बर 717 के चिपते ही पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 732 के उत्तरी व पश्चिम दिशा की सींव पर से कटानी रास्ता है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नजदीक का कटानी रास्ता है प्रार्थी की भूमि से लगभग 9 जरीब पश्चिम दिशा की दूरी पर कटानी रास्ता हैं प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 732 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम रास्ता 16 फीट चौड़ा व लगभग 111 मीटर लम्बाई में रास्ता कटान चाहता है जिससे प्रार्थी आसानी से आवागमन कर सके। अतः नियमानुसार गै.मु. रास्ता स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता नेताराम सियोग द्वारा विधिक आपत्ति पेश की गई एवं निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनुवान के प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा मंगवाई गई रिपोट अनुसार मामला नये रास्ते का नहीं होकर पुराने रास्ते को खुलवाने का बनता है जिसका क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार न्यायाजय हाजा को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा में आगे की कार्यवाही किये जाने से पूर्व क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का बिन्दू तय किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रथमत क्षेत्रााधिकार/श्रवणाधिकार का बिन्दू तय करने का निवेदन किया गया । उक्त सम्बन्ध में अनुवान प्रभुराम बनाम स्टेट आदि एस बी सीविल पीटीशन संख्या 14356/2015 निर्णय दिनांक 4.01.2016 हाईकॉर्ट रूलिंग पेश की गई। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा प्रेषित रीपोर्ट पत्रावली शामिल हैं। अवलोकन किया गया प्राप्त रीपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि में रास्ता स्वीकृत करने की दशा में लम्बाई 84 गठ्ठा एवं चौड़ाई 2 गठ्ठा अनुसार 168 गठ्ठा अर्थात् 693X16.5 = 11434 वर्गमीटर गैर मु. रास्ता स्वीकार योग्य होने की रीपोर्ट की गई हैं। हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव जैतपुर ए संवत् 2072–75 एवं नक्शा तथा तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग सबसे निकटतम दूरी पर है एवं अपने खेत तक जाने हेतु इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश विधिक आपत्ति, एवं उक्त सम्बन्ध में पेश एस बी सीविल पीटीशन संख्या 14356/2015 को हम प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चुंकि उक्त रास्ता वैकल्पिक मार्ग रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं अतः उक्त रूलिंग को हम इस प्रकरण विशेष में उचित नहीं मानते एवं उक्त विधिक आपत्ति को खारिज करते हैं तथा प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में मानते हैं। अतः [illegible] 251 ए स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार रीपोर्ट मय नज[illegible] अनुसार लम्बाई 84 गठ्ठा एवं चौड़ाई 2 [illegible] अनुसार 168 ग[illegible]र्थात् 693X16.5 = 11434 वर्गमीटर गैर मु. रास्ता [illegible] जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकर[illegible] प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी [illegible] पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार निर्धारित दर से भु[illegible] होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अशोक कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested